

विवि की आर्थिक स्वायत्तता खत्म : यूजीसी और सरकार की लेनी पड़ेगी अनुमति

राजस्थान के विवि अब नहीं शुरू कर सकेंगे नया पाठ्यक्रम व रिसर्च सेंटर

एक्रीडेशन रेटिंग के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटे गए विवि

तीसरी श्रेणी में है आर्थिक स्वायत्तता, राजस्थान के सभी विवि इसी श्रेणी में

डेली न्यूज़

कोटा > 15 फरवरी

देशभर के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता अब एक्रीडेशन रेटिंग के आधार पर तय होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा है। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय तीसरी श्रेणी में आ रहे हैं। ऐसे में उनकी आर्थिक स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।

नई व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय यूजीसी और सरकार की इजाजत के बिना नया पाठ्यक्रम, विभाग, स्कूल और रिसर्च सेंटर नहीं खोल सकेगा। मामले में यूजीसी ने 12 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देशभर के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) जैसी संस्थाओं की ओर से जारी रेटिंग के आधार पर तय होगी। जिन विश्वविद्यालयों को 3.51 और उससे ऊपर की रेटिंग मिली है उन्हें

राज्य में 74 विवि, राज. विवि की रेटिंग 3.21

राजस्थान में राज्य, डीम्ड, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 74 है, लेकिन सभी की रेटिंग तीसरी श्रेणी की है। सबसे ज्यादा 3.21 रेटिंग राजस्थान विश्वविद्यालय की है। राज्य के इकलौते केंद्रीय विवि की 3.01 और कोटा विवि की 2.11 है।



रेटिंग सुधरी तो बदलेगी श्रेणी

विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बदलाव नेक, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, एनआईआरएफ जैसी संस्थाओं से मूल्यांकन में रेटिंग सुधार पर ही होगा। रेटिंग सुधार की दशा में विवि यूजीसी में इस बाबत आवेदन करेंगे।

पहली, वहीं 3.26 से 3.50 अंक की रेटिंग वालों को दूसरी और इससे कम रेटिंग वाले विवि को तीसरी श्रेणी में रखा गया है।

पहली श्रेणी : किसी मंजूरी की जरूरत नहीं

श्रेणी एक के विवि को नए पाठ्यक्रम, नए विभाग, विद्यालय, स्टडी और रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए यूजीसी की मंजूरी नहीं लेनी होगी। इन्हें क्षेत्राधिकार में ऑफ कैमस सेंटर खोलने की भी इजाजत दी गई है। कौशल विकास पाठ्यक्रम, सेल्फ फाइनेंस स्कीम में रिसर्च पार्क, इनक्यूबेशन सेंटर, डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर, प्रतिस्पर्धी वेतन पर विदेशी शिक्षक नियुक्त करने, 20% तक विदेशी छात्रों को दाखिला देने और विदेशी विवि से शैक्षणिक अनुबंध करने की भी आजादी होगी। इन विवि को '12 बी' का मूल्यांकन कराए बिना यूजीसी से पूरी आर्थिक सहायता मिलेगी।

दूसरी श्रेणी : आर्थिक मदद को कराना होगा मूल्यांकन

दूसरी श्रेणी के विवि को भी शैक्षणिक स्वायत्तता तो पूरी रहेगी, लेकिन ये आर्थिक पैसले लेने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। इन्हें यूजीसी से सेक्शन '12 बी' का मूल्यांकन कराना होगा। इसमें खर्च उतरने पर ही उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।

तीसरी श्रेणी : हर काम के लिए लेनी होगी इजाजत

तीसरी श्रेणी के विवि को नया पाठ्यक्रम शुरू करने से लेकर विभाग खोलने तक के लिए सरकार और यूजीसी की इजाजत लेनी होगी। इन विवि को नेक, एनआईआरएफ संस्थाओं और यूजीसी एक्ट-1956 की धारा 12(बी) के तहत नियमित मूल्यांकन कराना होगा। विवि की गतिविधियां संचालित करने के लिए सरकार के बजट देने से इनकार पर खुद ही पैसा जुटाना होगा।